

पत्रांक-
3(स०)/उ०स्था०(विविध)14/19

पटना, दिनांक- 17/07/19

प्रथक,
लक्ष्मी नारायण साह,
सरकार के अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

विषय: हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना के कतिपय कार्यालयों के डी0डी0ओ0 कोड को Deactivate कर जिला उद्योग केन्द्र के डी0डी0ओ0 कोड के साथ Mapping करने के संबंध में।

आपका पत्रांक-3004 दिनांक 31 07 19।

महाशय,
उपर्युक्त विषयक प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या-346 दिनांक 17-01-19 द्वारा निदेशालयों के अधीनस्थ जिला में अवस्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को संबंधित जिला के महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र के निराकरणधीन किया गया है तथा संबंधित महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र का जकात निकारसी एवं अग्रण पदाधिकारी बनाया गया है।

उक्त संकल्प क्र. 346 के पूर्व हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के कर्मियों का वेतनादि की निकारसी प्रमदलीय स्तर पर अवस्थित निकारसी एवं अग्रण पदाधिकारी तथा अन्य कर्मियों पर कोषागार के माध्यम से की जा रही थी। विभागीय संकल्प संख्या-346 दिनांक 17-01-19 के निर्गत के पश्चात् उक्त संकल्प में वर्णित प्रावधान के आदेशों में संबंधित जिला में अवस्थित हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के डी0डी0ओ0 कोड को Deactivate कर जिला उद्योग केन्द्र के डी0डी0ओ0 कोड के साथ उनकी Mapping करी कराने के कारण उक्त कार्यालयों के कर्मियों का वेतनादि भुगतान लक्षित है।

अतः अनुरोध है कि विभागीय संकल्प संख्या 346 दिनांक 17-01-19 के आलोक में हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मियों का वेतनादि भुगतान हेतु उक्त कार्यालयों के डी0डी0ओ0 कोड को Deactivate कर जिला उद्योग केन्द्र के डी0डी0ओ0 कोड के साथ उनकी Mapping कराने तथा अन्य संबंधित अग्रण कार्रवाई शीघ्र करने की कृपा की जाय।

प्रस्ताव पर सचिव, उद्योग विभाग बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

दिशवारभाजन

80/-

सरकार के अवर सचिव

पटना, दिनांक- 06.08.19

ज्ञापक- 3465

प्रतिलिपि-निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

15/07/19
20/07/19

20/7/19
3/DMS
6

99/1005-M
13/8/19

13/8/19

33/8/19

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

ह०रे०/स्था०- (विविध)- 03/19

पटना, दिनांक- 29.8.19

ज्ञापक- 1464
प्रतिलिपि- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना/वैशाली, हाजीपुर/मुजफ्फरपुर/सीतामढी/पूर्णिया/किशनगंज/अररिया/कटिहार/मधेपुरा/सुपौल/बेगूसराय/गया/जहानाबाद/औरंगाबाद/भागलपुर/बांका/मुंगेर/सिवान/पंचम्पारण/सहरसा/नवादा/कैमूर/नालंदा/दरभंगा/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), गया/भागलपुर/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पटना/मुजफ्फरपुर/पूर्णिया/भागलपुर/परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, रानीपोखर, वैशाली/मुशहरी, मुजफ्फरपुर/फरीदपुर, सीवान/लकडीकोला, बांका/राघोपुर बखरी, सीतामढी/ढेकसार किशनगंज/सहरसा/कुमारबाग, बेतिया/प्रबंधक, पोलिस्टर एवं सिल्क वस्त्र प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, बरारी, भागलपुर/अग्र परियोजना पदाधिकारी (तसर), इनारावरण, कटोरिया, बांका/श्यामबाजार, बांका/गंगटामोड, मुंगेर/कौआकोल, नवादा/अधौरा, कैमूर/तसर क्रय-विक्रय संगठन, बांका/प्राचार्य, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर/आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.8.19